प्रभात खबर
सिटी फर्स्ट
पटना, शनिवार
4.02.2017
03

डाकबंगला चौराहे पर है दुकान

मोहन अलंकार ज्वेलर्स में छापा नकली हॉलमार्क के गहने जब्त

संवाददाता ▸ पटना

भारतीय मानक ब्यूरो (पटना कार्यालय) की टीम ने शुक्रवार की शाम डाकबंगला चौराहा स्थित मोहन ज्वेलर्स में छापेमारी की. इस दौरान वहां हड़कंप मच गया. जांच टीम ने दुकान में मौजूद नकली हॉलमार्क लगे आभूषण को सैंपल के तौर पर जब्त कर लिया. वहीं, कुछ अन्य गहनों को सील कर दुकानदार के पास ही सुरक्षा में रख दिया है. इस छापेमारी के बाद सैंपल की जांच की जायेगी. इस मामले में दुकान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है. दुकान मालिक पर आरोप है कि वे लोग भारतीय मानक ब्यूरो से बिना लाइसेंस लिये हॉलमार्क के साथ आभूषण बेच रहे थे. इसकी जानकारी ब्यूरो को लगी थी. ग्राहकों के आंखों में धूल झोंकने के लिए दुकान मालिक ने नकली हॉलमार्क तैयार कराया था, जिसका प्रयोग किया जा रहा था.

दरअसल, जांच टीम जब दुकान में पहुंची, तो दुकान में उस समय ग्राहक मौजूद थे. जांच टीम ने जब अपनी कार्रवाई शुरू की, तो वहां हड़कंप मच गया. मानक ब्यूरो के अधिकारियों ने दुकान मालिक से पूछताछ की. इसके बाद दुकान से नकली हॉलमार्क लगे आभूषण नमूने के तौर पर जब्त की और सील कर दुकानदार के पास सुरक्षा में रखा गया है. इसके अलावे दो आभूषण को जब्त कर गवाही के लिए छापेमारी टीम अपने साथ ले गयी. इस छापेमारी से डाकबंगला इलाके में मौजूद अन्य ज्वेलरी दुकानों में अफरा-तफरी की स्थिति देखी गयी.

क्या कहते हैं अधिकारी

भारतीय मानक ब्यूरो, पटना कार्यालय के वैज्ञानिक एफ व प्रमुख केसीएस विष्ट ने बताया कि कार्यालय को लगातार सूचना मिल रही थी कि डाकबंगला स्थित एक आभूषण विक्रेता भारतीय मानक ब्यूरो से बिना लाइसेंस प्राप्त किये अवैध तरीके से हॉलमार्क का दुरुपयोग कर ग्राहकों को ठग रहा है.

हॉलमार्क के धोखे का खेल

patna@inext.co.in

PATNA (3 Feb): यदि आप सोने के गहने खरीदने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मार्केट में नकली हॉलमार्क के आभूषणों का काला कारोबार हो रहा है. पटना में शुक्रवार को भारतीय मानक ब्यूरो की पटना शाखा ने इसका खुलासा करते हुए डाकबंगला चौराहा स्थित मोहन अलंकार ज्वेलर्स एंड कंपनी को बेनकाब किया है. यहां ग्राहकों को मूर्ख बनाने के लिए नकली हॉलमार्क के जेवरात का कारोबार होता था.

मारा छापा तो खुली पोल

ब्यूरो को सूचना मिली थी कि एक स्वर्ण आभूषण विक्रेता भारतीय मानक ब्यूरो से बिना लाइसेंस लिए हॉलमार्क का दुरुपयोग कर ग्राहकों को गुमराह कर रहा है. इस सूचना के आधार पर एक टीम बनाई गई. शुक्रवार को छापेमारी दस्ता ने मोहन अलंकार ज्वेलर्स एंड कंपनी पर छापा मारा और फर्म से नकली हॉलमार्क लगा आभूषण नमूना के तौर पर लिया. इसे सील कर गवाही के लिए भेज दिया गया है.ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि एक्ट 1986 के नियमों के तहत आईएसआई मार्क का दुरुपयोग पाए जाने पर तथा इसकी कोर्ट की सत्यापन के बाद 50 हजार रुपए या उत्पादनकर्ता को एक वर्ष की सजा या फिर दोनों हो सकती है. ब्यूरो उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने में इस तरह का अभियान गुप्त सूचना के आधार पर अपने सौजन्य से या अन्य आधार पर करती है.

पटना जागरण

डाकबंगला चौराहे के पास ज्वेलरी शोरूम में धावा

पटना : डाकबंगला चौराहा के पास मशहूर ज्वेलर शुक्रवार को भारतीय मानक ब्यूरो के हत्थे चढ़ गया। इस शोरूम में हॉलमार्क का दुरुपयोग किया जा रहा था। ब्यूरो की टीम ने शोरूम से नकली हॉलमार्क लगे आभूषण नमूने के तौर पर जब्त एवं सील कर रख लिए। साथ ही दो आभूषणों को जब्त एवं सील कर गवाही के लिए टीम अपने साथ ले गई। ब्यूरो के पटना शाखा कार्यालय को सूचना मिली थी कि विक्रेता बिना लाइसेंस प्राप्त किए अवैध रूप से हॉलमार्क का दुरुपयोग कर ग्राहकों को गुमराह कर रहा है। इसके बाद कार्यालय प्रमुख की ओर से एक विशेष छापेमारी दस्ता का गठन किया गया। तलाशी में सूचना की पुष्टि हो गई।